Websites:
http://www.sciencepub.net/academia
http://www.sciencepub.net

Emails:
aarena@gmail.com
editor@sciencepub.net

Academia Arena

MARSLAND PRESS
Multidisciplinary Academic Journal Publisher

Study of Panchayati Raj in Haryana.
हरियाणा मैं पंचायती राज का एक अध्ययन

*Dr. Ritesh Mishra and **Mrs. Seema

* Associate Professor, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan (India)
**Research Scholar, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan (India)
Email: seema2304355@gmail.com

Abstract: After the formation of a separate state, the three-tier Panchayati Raj system of Punjab state was adopted in Haryana. But after some time it was felt that the existing system of Panchayati Raj has failed to achieve the desired objectives. The main reasons responsible for this are the bureaucratic dominance over these institutions, lack of finance, transfer of inadequate powers and lack of political will of state level leaders. Therefore, the State Government appointed a committee under the chairmanship of Madhusinh Malik whose task was to suggest reforms in the Panchayati Raj system. Considering the excesses in the functions of the Panchayat Samiti and the Zilla Parishad, this committee recommended that the Zilla Parishad should be abolished at the top. It also suggested that Panchayat Samiti be given more administrative and financial powers so that it can play an important role in the process of institution development. As a result, the District Councils were abolished in 1973 and suitable amendments were made to the Punjab Panchayat Samiti and the District Council Act 1951. From then until the passage of the 73rd Constitutional Amendment, the panchayati raj's handicraft structure was functioning in Haryana. In it there was "Gram Panchayat" at Nimmastar and "Panchayat Samiti" at upper level.

सारांश: पृथक राज्य बनने के बाद हरियाणा में पंजाब राज्य की ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि पंचायती राज की विधमान व्यवस्था वांछित उदेश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से उतरदायी कारण इन संस्थाओ पर नौकरशाही का प्रभुत्व, वित का अभाव, अपर्याप्त शक्तियों का हस्तातरणं तथा राज्य स्तर के नेताओं की राजनैतिक इच्छा का अभाव माना गया। अत: राज्य सरकार ने माडूसिंह मलिक कि अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कि जिसका कार्य पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना था । इस समिति ने पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कार्यों में अतिराव मानते हुए यह सिफारिश की की शीर्ष पर जिला परिषद् को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही इसने यह सुझाव दिया कि पंचायत समिति को और अधिक प्रसासनिक एवम् वितीय शक्तियां प्रदान की जाए ताकि यह संस्था विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। परिणामस्वरूप 1973 में जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया तथा पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1951 में उपयुक्त संसोधन किए गए। तब से लेकर 73वे सवैधानिक संसोधन के पारित होने तक हरियाणा में पंचायती राज की दिस्त्रीय सरंचना कार्यरत रही। इसमें निम्मस्तर पर "ग्राम पंचायत" तथा उपरी स्तर पर "पंचायत समिति" थी।

[Ritesh Mishra and Mrs. Seema. **Study of Panchayati Raj in Haryana.** *Academ Arena* 2021;13(1):55-60]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). http://www.sciencepub.net/academia. 5. doi:10.7537/marsaaj130121.05.

Keywords: Study; Panchayati; Raj; Haryana.
कुंजी शब्द: gfj;k.kk, पंचायती राज, साहित्य

प्रस्तावना: हरियाणा में "पंचायती राज" ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सूचक है। इसे ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्य और जिम्मेदारियाँ सौपी गई है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जहाँ अधिकतर लोग गावों में निवास करते है। यहाँ ग्रामीण व्यवस्था पर ग्राम पंचायतो का नियन्त्रण होता है, जो कि समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखती है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायते विधमान रही है। इस तरह की पंचायते विशेषकर जाट बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय है।[5]

हरियाणा क्षेत्र में पंचायतो का विकास वास्तव में स्वतन्त्रता के उपरान्त ही सम्भव हो सका। सन 1952 में हुए पहले आम चुनावों के बाद भीमसेन सच्चर के नेतृत्व में बनी पंजाब की काँग्रेस सरकार ने पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 बनाया । इस अधिनियम के द्वारा ग्रामों में पंचायतो पर नियंत्रण रखने के लिए सामान्य सभा के रूप में ग्राम सभा की स्थापना का भी प्रावधान था, किन्तु वास्तव में यह संस्था स्थापित नहीं की गयी । पंचायती राज की वास्तविक स्थापना पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के द्वारा ही हुई। पंचायती राज का उदय वस्तुतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण हुआ। पंजाब सरकार ने बलवन्त राय मेहता समिति के प्रतिमान के अनुरूप पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढ़ाचा स्थापित करने के लिए पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 बनाया व पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 में आवश्यक संशोधन भी किए।[6]

सन 1965 में पंजाब सरकार द्वारा राजेन्द्र सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पंजाब में पंचायती राज व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नही कर रही है। समिति ने महाराष्ट्र के प्रतिमान पर पंजाब पंचायती राज को पुनर्गठित करने की सिफ़ारिश की थी तथा समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही होने से पहले ही सन 1966 में पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया।[7]

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1961 द्वारा लागू व्यवस्था हरियाणा राज्य के गठन के बावजूद सन् 1973 तक लागू रही। हरियाणा सरकार ने सन् 1972 में माडू सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका काम क्रियाशील पंचायती राज संस्थाओ की जांच करना व रचनात्मक परिवर्तन के सुझाव देना था। इस समिति के महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार रहे इन संस्थाओ की असफलता का मुख्य कारण नौकरशाही व राजनीतिज्ञों का अनावश्यक हस्तपेक्ष था। राज्य सरकार का समय पर चुनाव न करवा पाना भी इसका एक बड़ा कारण था। समिति ने सुझाव दिया कि जिला परिषदों को पंचायत समितियों की कीमत पर सशक्त न बनाया जाये तथा संसाधन बढ़ाने और अधिक स्वतंत्रता देने की मांग भी की गई।

समिति का सुझाव था कि जिला परिषद् की कार्यप्रणाली को परखा जाये तथा जिसको सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस समिति का विचार था कि जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जाये, क्योंकि ये तालमेल बठाने के कार्य में (जिसके लिये इसका गठन हुआ है) असफल रही है। अंततः 13 जुलाई, 1973 को जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया तथा सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि जिला परिषद् व पंचायत समिति की शक्तियों के बीच स्पष्ट भेद का अभाव था।[8]

सन् 1966 में हरियाणा के निर्माण से लेकर सन् 1993 तक पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1961 को 17 बार संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत पंचायतो के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। सन् 1976 का हरियाणा अधिनियम जो कि सरपंच द्वारा ग्राम सभा की दो बैठको के संचालन की असफलता की स्थिति में उसे पद से हटाने से सम्बन्धित था तथा इसमें पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था।[9]

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 1966 हरियाणा पृथक राज्य के आस्तित्व में आने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओ में चुनाव नियमित रूप से नहीं हुए। जिला परिषदों के लिये चुनाव मात्र एक बार सन् 1972 में कराये गये और सन 1973 में उनको भंग कर दिया गया। पंचायत समितियों का चुनाव तीन बार सन् 1972, 1983 व 1991 में क्रमश: 11 और 8 वर्ष के बाद करवाये गये। ग्राम पंचायतो के चुनाव पहली बार सन् 1971, दूसरी बार सन् 1978, तीसरी बार सन् 1983, चौथी बार सन् 1988 तथा पाचवीं बार सन् 1991 में 73 वां संवैधानिक संशोधन लागू होने से पहले करवाए गये। चुनाव क्रम देखने से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र की ये आधारभूत संस्थाए अनिश्चितता और अनियमितता का शिकार थी। जिसका मुख्य कारण राजनितिक इच्छा शक्ति का अभाव था। राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते पंचायतो के चूने हुए प्रतिनिधियों को पद से हटाना तथा इन संस्थाओ को भंग करना आम बात थी। जिसके कारण पंचायती संस्थाओ का वांछित विकास नही हो पाया।[10]

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर की प्रजातान्त्रिक संस्थाओ को राज्य के राजनैतिक नेत्रत्व के

कारण अनिश्चता एवम् अनियमितता का सामना करना पड़ा। ये स्थिति इतनी दयनीय थी कि पंचायती राज संस्थाओ के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लघु स्तर के अधिकारियो कि सिफारिशों पर निलम्बित कर दिया जाता था तथा राजनैतिक आधार पर इन संस्थाओ को भंग एवम् किया जाता रहा।

पहली पंचायत (3 साल का कार्यकाल तथा पंच चुनते थे सरपंच):

पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट-1952 के तहत सबसे छोटी सरकार का कार्यकाल तीन साल था। पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते और अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सकते थे। पंचायत में एससी-एसटी वर्ग से एक पंच चुना जाना जरूरी था। महिलाओं के लिए कोटा नहीं था। आचार संहिता नहीं होती थी। प्रशासन 3-4 शिक्षकों की टीम बनाकर गांवों में चुनाव कराने के लिए भेजते थे। कोई वार्ड नहीं था। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते, वही पंच बनते थे। रोचक बात यह होती थी कि कुछ गांवों में सभी पंच एक ही प्रभावशाली परिवार से चुनकर आ जाते थे।

2. पहला बदलाव (सीधे चुना जाने लगा सरपंच, कार्यकाल 5 साल):

1963 में पंजाब सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया। इसके तहत गांव का मतदाता सीधे सरपंच का चुनाव कर सकता था। पंचायत का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया।

1. **दूसरा बदलाव (पंच को वापस मिला अधिकार):**

1 नवम्बर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में 1971 में पंचायती राज एक्ट बदला गया। बंसीलाल सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार दोबारा पंचों को दे दिया। कार्यकाल पांच साल का रखा गया।

2. **तीसरा बदलाव (देवीलाल ने वोटर को दिया अधिकार):**

1978 में चौ. देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया। पंचों से सरपंच बनाने का अधिकार छीनकर वापस मतदाता को दिया। पंचायत में एक महिला सीट की अनिवार्यता तय की गई।

3. **चौथा बदलाव (भजनलाल सरकार ने कार्यकाल घटा दिया):**

1991 में भजनलाल सरकार ने एक्ट में मामूली बदलाव किया। 5 साल के कार्यकाल को घटाकर 3 साल कर दिया गया।

1992 में 73वे सवैधानिक संसोधन विधेयक संसद में पारित किया गया तथा अप्रैल 1993 में इस अधिनियम को सम्पूर्ण देश में लागु किया गया ताकि पुरे देश में पंचायती राज संस्थाओ में एकरूपता स्थापितं हो सके। इसी एकरूपता के उदेश्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में यह अपेक्षा की गई कि वे 73वे सवैधानिक संसोधन के पारित होने के एक वर्ष (24 अप्रैल, 1994 तक) के अन्दर-अन्दर अपने अपने राज्यों में 73वे सविधान संसोधन अधिनियम के अनुरूप नए पंचायती राज अधिनियमों का गठन करे तथा इन्हें अपने राज्य में लागु करे। इसी दिशा में हरियाणा में भी नया पंचायती राज अधिनियम "हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994" पास किया गया। इस तरह 22 अप्रैल, 1994 को इसे राज्य में लागु किया गया। हरियाणा पंचायती राज अधिनयम के मुख्य प्रावधान निम्मलिखित है:

1. ग्राम सभा का गठन:

73वे सविधान संसोधन के अनुच्छेद 243(क) के अन्तगर्त ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन पर प्रावधान दिया गया है उसी का अनुसरण करते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनयम 1994 की धारा-7 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा का गठन का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत सरकार अनुसुचना द्वारा ग्राम या ग्राम के किसी भाग अथवा मिलते हुए समूह की कम से कम 500 कि जनसँख्या से एक या एक से अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकती है परन्तु साथ ही यह प्रावधान दिया गया है कि सरकार अपवादात्मक मामलों में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों द्वारा न्यूनतम 500 की जनसंख्या की सीमा में छूट भी दे सकती है। यह उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता शामिल होंगे।

2. त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था:

73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ख) के अनुसार ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के

अध्याय-3 के अन्तर्गत यह व्यवस्था कि गई की ग्राम स्तर पर "ग्राम पंचायत", खण्ड स्तर पर "पंचायत समिति" तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया जाएगा।

3. पंचायती राज संस्थाओ का कार्यकाल:

73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ड) के अनुसार ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तगर्त तीनो स्तरों की पंचायती राज संस्थाओ का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि उन्हें भंग किया जाता है तो छ: महीने के अन्दर-अन्दर नया चुनाव करवाया जाएगा।

4. आरक्षण व्यवस्था:

73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243घ(1) के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9(6-1) तथा 120(1-6) में तीनो स्तरों की पंचायत क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् में निम्म वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जो निम्म प्रकार से है:

अनुसूचित जातिया: इनके लिए प्रत्येक स्तर पर सम्बंधित क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएगी।

महिलाएं: महिलाओं के लिए जिसमे अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल है, प्रत्येक स्तर पर कुल पदों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग: जिस ग्राम पंचायत में पिछड़ो वर्ग की जनसंख्या 2 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वंहा उनके लिए एक सीट आरक्षित की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पंचायत समिति तथा जिला परिषद् में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगो के लिए एक सीट उस वार्ड में आरक्षित की जाएगी। जिसमे पिछड़ा वर्ग की अधिकतम जनसंख्या होगी।

5. संस्थाओ के सदस्यों का निर्वाचन:

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ग) के अनुसार तीनो स्तर की पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा और वार्डो में से मतदाताओं द्वारा किया जाएगा।

6. पंचायती राज संस्थाओ में सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान:

73वे अधिनियम के अनुच्छेद 245(च) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही अधिनियम 1994 कि धारा-177 में संस्थाओ के सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान दिया गया है। इसमें सदस्यों को निम्म आधार पर अयोग्य किया जाएगा:

- यदि सदस्य का अपराध सिद्ध होने पर वह छ: मास या कम समय के लिए दण्डित रहा हो।
- किसी न्यायलय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित किया गया हो।
- तीनो स्तर पर पंचायतो में किसी लाभप्रद व वेतन के पद पर नियुक्त हो।
- जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हो।

7. शक्तियां व उतरदायित्व सम्बन्धी प्रावधान:

73वे अधिनियम की धारा-243(छ) को समाहित करते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में धारा 13-38, ग्राम पंचायत समिति धारा- 75-87 तथा धारा 137-143 तक जिला परिषद् कि शक्तियों व उतरदायीत्वो सम्बन्धी विवरण दिया गया है। इसके अन्तगर्त सभी स्तर कि पंचायते अपने-अपने अधिकारों के अनुरूप सौपे गए कार्य करेंगी।

8. संस्थाओ की कर लगाने व कोष एकत्रित करने की शक्तिया:

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ज) को समाहित करते हुए धारा 39-45, 88-105 तथा 144-145 तक क्रमश: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को कर लगाने व कोष एकत्रित करने की शक्तिया प्रदान की गई है ताकि ये संस्थाए आय अर्जित कर विकास कार्यों को पूरा कर सके।

9. राज्य-वितायोग का गठन:

73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(झ) राज्य वितायोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान दिए गए है तथा निर्देश दिए गए है कि राज्यपाल वितीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित आयोग का गठन करेगा। अत: उन्ही निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम 1994 की धारा-213 (1-8) के अन्तगर्त राज्य वितायोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। जिसका मुख्य कार्य तीनो स्तरों की पंचायती राज संस्थाओ की प्रत्येक पांच वर्ष में

वितीय स्थिति की समीक्षा करना व आवश्यक सुझाव देना है।

10. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन:

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 कि धारा 212(1-3) में 73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद (ट) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग तीनो स्तरों की संस्थाओ के चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया को पूरा करेगा था निष्पक्ष निर्वाचन करवाएगा।

11. संस्थाओ के लेखा व अकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान:

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 कि धारा 216 में 73वे संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ण) में पंचायती राज संस्थाओ के लेखा व अकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान दिया गया है।[10]

अत: उपयुर्क्त विवरण से स्पष्ठ है कि 73वे संवैधानिक संशोधन के अन्तगर्त ग्राम सभा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे सवैधानिक दर्जा दिया गया। महिलाओ को पंचायती राज में भागीदार बनाने के लिए एक तिहाई आरक्षण दिया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. डॉ. जार्ज मान व रमेश चन्द, "पंचायतो के व्यवहार में क्या लाभ है, इनमें शोषित वर्गो को", चन्द्र पब्लिकेशन हाउस, जोधपुर, 1994, पृष्ठ 1181।
2. गिरिस कुमार एवम् बुद्धदेव घोष, "पंचायती राज इलेक्शन", कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1996, पृष्ठ 71-73।
3. भोला नाथ घोष, "रूरल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट" मोहित पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1996, पृष्ठ 18-42।
4. राजेन्द्र कुमार सिह, "ग्रामीण राजनीतिक अभिजन", क्लास्सिक पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1996, पृष्ठ 142।
5. बल्लम शरण, "नई पंचायती राज व्यवस्था सवैधानिक संशोधन और राज्यधिनियम" कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1996, पृष्ठ 181।
6. महिपाल, "पंचायती राज में महिलाए: अतीत, वर्तमान एवं भविष्य", शर्मा पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1997, पृष्ठ 181।
7. अशोक वाजपेयी, "पंचायती राज एवम् ग्रामीण विकास" साहित्य प्रकाशन, न्यू दिल्ली, 1997, पृष्ठ 17-22।
8. राजेन्द्र प्रशाद जोशी, "पंचायत का सवैधानिकरण", रावत पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1997, पृष्ठ 88।
9. यतीन्द्र सिंह, "मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था", आई. सी. एस. एस. आर., उज्जैन, 1998, पृष्ठ 288-301।
10. सीमा सेठ, "पंचायती राज संस्थाओ में महिला प्रतिनिधियों कि सहभागिता: रोहतक जिले का अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 1998, पृष्ठ 1-201।
11. संदीप जोशी, "पंचायतो का वितीय पोषण", आई. सी. एस. एस. आर., उज्जैन, 1998, पृष्ठ 97।
12. जार्ज मैथ्यू, "स्टडी ऑफ़ पंचायती राज इन मध्यप्रदेश" रावत पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1999, पृष्ठ 1-203।
13. ब्रहमदेव शर्मा, "सहभागिता एवं विकेन्द्रीकरण विकास", इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ 23।
14. राज सिंह, "न्यू पंचायती राज फंक्शनल एनालसिस", उनिक पब्लिकेशन हैदराबाद, 1967, पृष्ठ 1-311।
15. अजय भारद्वाज, "पंचायती राज में महिला सरपंचो कि भागेदारी: रोहतक जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 2000, पृष्ठ 1-197।
16. यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, "पंचायत राज एवम् अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000, पृष्ठ 41-46।
17. नामबियर, "मेकिंग दा ग्राम सभा वर्क", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 2001, पृष्ठ 44-51।
18. बिना वर्मा, "हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: जिला अम्बाला का

एक अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2001, पृष्ठ 1-167 ।

19. डॉ. किशन कुमार शर्मा, "भारत में पंचायती राज", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 2002, पृष्ठ 23-57 ।

20. मधु राठौड, "पंचायती राज और महिला विकास", पोइनीर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2002, पृष्ठ 1-233 ।

21. कुसुमलता, "अ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग इन पंचायती राज इन हरियाणा", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2002, पृष्ठ 1-187 ।

1/19/2021